न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 107 / 2019	2019 / 00197	09.10.2019	26.04.2022

–उनवान–

1. जसवन्त सिंह पुत्र बीरबल जाति अहीर निवासी ग्राम गाधोज तहसील बहरोड़ जिला अलवर।

–अपीलांट

बनाम

1. सतपाल पुत्र बीरबल जाति अहीर निवासीयान् ग्राम गाधोज तहसील बहरोड़ जिला अलवर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार बहरोड़ जिला अलवर।

–रैस्पोडेट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बहरोड़ का निर्णय दिनांक 26.11.2010 जिसके द्वारा बटवारे का आदेश पारित किया गया।

उपस्थितः–

01. श्री मनीष कुमावत –वकील अपीलान्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड़ के आदेश दिनांक 26.11.2010 जिसके द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 में निर्णय पारित किया गया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने पक्षकारान् की कुल आराजी का हिस्से व कब्जे के मुताबिक बटवारा किये जाने की सहमति दी थी। किन्तु रैस्पो0 ने पटवारी हल्का से साज–बाज होकर कुल आराजी का सही तरीके से बटवारा नहीं किया। अपीलांट को यह विश्वास था कि मौके पर कब्जे व हिस्से के अनुसार बटवारा किया गया है। किन्तु दिनांक 11.03.2019 को रैस्पो0 ने अपीलांट को कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की तथा धमकी दी गयी कि कब्जे की आराजी उनके हिस्से में आई है इसलिए वे उस पर कब्जा करेंगे। रैस्पो0 द्वारा दी गयी धमकी पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की नकल लेने हेतु प्रा0पत्र पेश किया। नकल प्राप्त कर नकल मिलने की जानकारी दिनांक 12.03.2019 से अपील अंदर मियाद पेश की गयी है। आदेश दिनांक 26.11.2010 से जानकारी की दिनांक 12.03.2019 को समय धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत कन्डोन किये जाने योग्य है। पक्षकारान् द्वारा विवादित आराजी का बटवारा पूर्व में ही कर रखा था। बटवारा अनुसार पक्षकारान् अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। राजस्व रिकॉर्ड में बटवारा नहीं हुआ था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान कुल आराजी का मौके व रिकॉर्ड के अनुसार बटवारा किये जाने की सहमति दी थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रा0पत्र पेश किया गया था उसमें रैस्पो0 द्वारा पटवारी हल्का से मिलकर पक्षकारान् में हुए बटवारे अनुसार खसरा नम्बरान् अंकित नहीं किये तथा हिस्से अनुसार बटवारा नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हरदत्त व लालचन्द के हिस्से में 2.01 है0, सुरेन्द्र के हिस्से में 1.62 है0 तथा अपीलांट व रैस्पो0 सं0 1 के हिस्से में 1.34 है0 रकबा दिया है जो हिस्से अनुसार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस आराजी का बटवारा किया गया है। उस आराजी के सभी खातेदारान् की सहमति नहीं ली गयी है। विवादित आराजी में लटूर, ब्रह्मदत्त पुत्रान् जीतराम व श्रीमति सरोज स्त्री सुभाष चन्द का भी हिस्सा है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त खातेदारान् को विवादित आराजी में कोंई हिस्सा नहीं दिया गया है। उक्त व्यक्तियों का

जिला कलक्टर, अलवर

विवादित आराजी खसरा नम्बर 1851, 1854, 1855 व 1856 में हिस्सा है। उक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सभी सहखातेदारान् की सहमति लिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.11.2010 को जो बटवारे के आदेश दिये है जिस आदेश में अपीलांट व रैस्पो0 सं0 1 के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 1851, 1854, 1855 व 1856 के आदेश पारित किये है तथा उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व रैस्पो0 1 की आराजी का बटवारा किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.11.2010 का अपीलांट व रैस्पो0 के मध्य आराजी का बटवारा किये जाने के आदेश को निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। रैस्पोडेन्टान् उपस्थित नहीं। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 26.11.2010 के विरूद्ध दिनांक 25.03.2019 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 8 वर्ष 4 माह के विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि साधारण नहीं है। फिर भी अपीलान्ट द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बटवारा करते समय सभी पक्षकारान् का हिस्से अनुसार बटवारा नहीं किया गया है। जो विधि विरूद्ध है। प्रथमदृष्ट्या अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार बहरोड़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि सभी पक्षकारान् का विवादित आराजी में पुनः विधिसम्मत् उनके हिस्से अनुसार बटवारा कर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.04..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)
जिला कलक्टर अलवर